कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

::संशोधित आदेश::

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 3021 / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 31 / 03 / 2020

कोरोना (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य है कि (COVID-19) कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत है।

रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रामक होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश, दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं, तत्संबंध में कार्यालयीन आदेश क. 2857 / न्या.लि. / 2020 रायगढ़ दिनांक 19.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग द्वारा जारी पत्र क. 161 / स.शा.प्र.वि. / 2020 दिनांक 29.03.2020 में उल्लेखित एवं गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र क. 40-3 / 2020 / DM-1(A) दिनांक 29.03.2020 के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समेकित निर्देश जारी कर, उक्त कोरोना वायरस के नियंत्रण दृष्टिगत संपूर्ण देश में दिनांक 25.03.2020 से प्रारंभ होकर आगामी 21 दिन तक के लिए लागू रहने के निर्देश हैं, के परिप्रेक्ष्य में **दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)** के अंतर्गत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं **यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायगढ़** यह आदेशित करता हूं कि :-

1. यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह (COVID-19) से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो (COVID-19) से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण Quartine संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह भारतीय दंण्ड संहिता 1860 की धारा 270 एवं धारा 144 की दं.प्र.सं. के इस आदेश की अवहेलना करने के लिए दण्ड का भागी होगा।

2. ऐसे जगहों के सभी मालिक / प्रबंधक / निवासरत सभी व्यक्ति पर यह बाध्यता होगी कि वे राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नं. 104 से संपर्क करके ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आये हैं जो (COVID-19) से संक्रमित होने की आशंका है या (COVID-19) से संक्रमित देशों से आये हैं, इस हेतु जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क बनाया गया है, के बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक) का पालन करेंगे जो निगरानी जांच / भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। ऐसे किसी परिसर के अस्थायी बंद, मुद्रण, निकासी, धुमन, सफाई इत्यादि के लिए दिये गये आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति धारा 144 दं.प्र.सं. 1973 में इस आदेश के अतिरिक्त धारा 270, 188 आई.पी.सी., 1860 का उल्लंघन मानते हुए दण्ड का पात्र होगा।

इस आदेश में परिसर का तात्पर्य रायगढ जिले में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्थाएं जैसे कि आश्रम, छात्रावास, हॉल, लॉज, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रिसार्ट, छोटे, मध्यम-बड़े उद्योग, खदान, निजी शिक्षण संस्था, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरूद्वारा, चर्च, हाट बाजार एवं निजी घर से है।

3. इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थयगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी इस आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मेरे आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 14 अप्रैल 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 3021A / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 31 / 03 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक,रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् खरसिया की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बरमकेला / सरिया / पुसौर / किरोड़ीमल नगर / घरघोड़ा / धरमजयगढ़ / लैलूंगा की ओर सूचनार्थ।
11. सर्व कार्यालय प्रमुख जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक संचालक जन संपर्क जिला रायगढ़ की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)